

।। कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, बागेश्वर ।।

संख्या: 607 /व्यवस्थापन/दे0 /वि0/मदिरा दुकान.2024-25/बागेश्वर दिनांक: 30 मार्च, 2024

::विज्ञप्ति::

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के विज्ञप्ति संख्या-28202/सात लाई0-47/आबकारी नीति-2024/देहरादून: दिनांक: 30 मार्च, 2024 के द्वारा अव्यवस्थापित विदेशी/देशी मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन अधिकतम राजस्व ऑफर के माध्यम से किया जाना है। जिसके हेतु आबकारी नीति विषयक नियमावली-2024 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार अव्यवस्थापित मदिरा दुकानों के अधिकतम राजस्व ऑफर के माध्यम से व्यवस्थापन हेतु कार्यक्रम का विवरण निम्नवत् है:-

अधिकतम राजस्व ऑफर की प्रक्रिया		
क्र.स.	विवरण	स्थान दिनांक व समय
01	अधिकतम राजस्व ऑफर के माध्यम से मदिरा दुकानों के आवंटन हेतु आवेदन की तिथि व समय	31.03.2024 अपरान्ह 01:00 बजे तक
02	अधिकतम ऑफर के माध्यम से प्राप्त राजस्व ऑफर के अनुमोदनार्थ आबकारी आयुक्त को प्रेषित किये जाने की तिथि	31.03.2024 अपरान्ह 04:00 बजे तक

अधिकतम राजस्व ऑफर के माध्यम से व्यवस्थापित की जाने वाली विदेशी/देशी मदिरा दुकानों के राजस्व का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	विदेशी/देशी मदिरा दुकान का नाम	वर्ष 2024-25 हेतु निर्धारित राजस्व	वार्षिक लाईसेंस फीस रू0	वार्षिक अधिभार(MM GD)	मसिक अधिभार रू0	प्रथम प्रतिभूति रू0	द्वितीय प्रतिभूति रू0	धरोहर धनराशि (एनेस्ट मनी) निर्धारित राजस्व का 2.5%	हैसियत वार्षिक राजस्वका 15%
1	विदेशी मदिरा दुकान भराडी	122436045	1224000	121212045	10101004	10101004	10101004	3060901	18365407
2	देशी मदिरा दुकान गरुड	78614120	786000	77828120	6485677	6485677	6485677	1965353	11792118

इच्छुक आवेदक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र, शपथ पत्र, निर्धारित धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट, निर्धारित प्रक्रिया शुल्क रू0 65000/- (नॉन रिफन्डेबल) का बैंक ड्राफ्ट जो जिला आबकारी अधिकारी, बागेश्वर के पदनाम से जारी हो तथा वांछित हैसियत प्रमाण-पत्र जी-39 प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा, तथा निवास प्रमाण-पत्र, पैन एवं आधारकार्ड, 02 वर्षों की आईटी0आर0 प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रतियाँ। अधिकतम राजस्व ऑफर प्रक्रिया में कोई भी भारतीय नागरीक पात्र होगा। उपरोक्त दुकानों के आवंटन/व्यवस्थापन से सम्बन्धित प्रक्रिया एवं शर्तें एवं आवेदन पत्र आदि के प्रारूप विभागीय वेबसाईड www.uttrakhandexcise.org.in से तथा क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक व जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

(मीनाक्षी टम्टा)
जिला आबकारी अधिकारी,
बागेश्वर।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. जिलाधिकारी, बागेश्वर।

3. संयुक्त आबकारी आयुक्त, आई0टी0 मुख्यालय देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि, उक्त सूचना को जन सामान्य के अवलोकनार्थ विभागीय वेबसाईट www.uttrakhandexcise.org.in में अपलोड करवाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. जिला सूचना अधिकारी, बागेश्वर को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रतिनिधि अमरउजाला, हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय सहारा बागेश्वर को इस आशय के साथ प्रेषित की उक्त विज्ञप्ति को दिनांक 30.03.2024 के उत्तराखण्ड संस्करण में न्यूनतम स्पेश एव न्यूनतम दरो पर छपवाने का कष्ट करें।


Devi
30/03/2024


जिला आबकारी अधिकारी,
बागेश्वर।


जनपद-बागेश्वर।

वित्तीय वर्ष 2024-25 (दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक) हेतु अवशेष मदिरा दुकानों का निर्धारित राजस्व

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	दुकान का नाम/प्रकार	निर्धारित वार्षिक राजस्व	निर्धारित लाईसेंस फीस का 1 प्रतिशत 1000 के पूर्णांक में	वार्षिक अधिभार	कुल राजस्व	हैसियत की धनराशि (15 प्रतिशत)	प्रथम /द्वितीय (01 माह) प्रतिमूति की धनराशि	घरोहर धनराशि
1	विदेशी मदिरा दुकान भराडी	122436045	1224000	121212045	122436045	18365407	10101004	3060901
2	देशी मदिरा दुकान गरुड	78614120	786000	77828120	78614120	11792118	6485677	1965353
		201050165	2010000	199040165	201050165	30157525	16536680	5026254


(कनिष्ठ सहायक)
बागेश्वर।


(आबकारी निरीक्षक)
बागेश्वर।


(जिला आबकारी अधिकारी)
बागेश्वर।


(जिलाधिकारी)
बागेश्वर।